HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

1. **District (ज़िला):** GURUGRAM **P.S. (थाना):** DLF **Year (वर्ष):** 2026

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0263 **Date (दिनांक):** 23/06/2026 17:43

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	INFORMATION TECHNOLOGY ACT, 2000	65
2	INFORMATION TECHNOLOGY ACT, 2000	66(D)
3	THE BHARATIYA NYAYA SANHITA (BNS), 2023	111(2)(a)
4	THE BHARATIYA NYAYA SANHITA (BNS), 2023	318(2)
5	THE BHARATIYA NYAYA SANHITA (BNS), 2023	319
6	THE BHARATIYA NYAYA SANHITA (BNS), 2023	336(2)
7	THE BHARATIYA NYAYA SANHITA (BNS), 2023	336(3)
8	THE BHARATIYA NYAYA SANHITA (BNS), 2023	340

HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 **Day (दिन):** Intervening Days | **Date from (दिनांक से):** 15/06/2026 | **Date To (दिनांक तक):** 16/06/2026

Time Period (समय अवधि): | **Time From (समय से):** 00:00 hrs | **Time To (समय तक):** 23:59 hrs

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): | **Date (दिनांक):** 23/06/2026 | **Time (समय):** 16:00 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): | **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 034 | **Time (समय):** 23/06/2026 17:30 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** NORTH, 2 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): NEAR IFFCO CHOCK, CROWN PLAZA GURUGRAM,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): जसप्रीत उर्फ जस्सी

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) **(d) Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):

1995

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Occupation (व्यवसाय):**

(h) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	SANT NAGAR COLONY SIRSA, SIRSA, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	SANT NAGAR COLONY SIRSA, SIRSA, HARYANA, INDIA

(i) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):**

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)
1	अरुण महेन्द्रू		Father's Name: अशोक महेन्द्रू
2	अंकित		Father's Name: बलवान शर्मा

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

NO DELAY BY POLICE

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Sub Type (उप प्रकार)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property stolen (In Rs/-) (चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

शिकायत की जांच ACP CRIME-1 के द्वारा की गई जिसमे जुर्म जैर धारा 318,319(2),336(2),336(3),340(1),340(2),111 BNS AND 65,66-D IT ACT के अंतर्गत अभियोग दर्ज करने के बारे लिखीत आदेश प्राप्त हुए जिसका सार इस प्रकार से है सेवामें, पुलिसआयुक्त, जिला गुरुग्राम, हरियाणा। विषयः पंजाब सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, अरुण महेन्द्रू, अंकित तथा जांच के दौरान संलिप्त पाए जाने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 61, धारा 318, धारा 336, 338, 339 एवं 340, सूचनाप्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की प्रासंगिक धाराओं तथा जांच के दौरान उजागर होने वाले अन्य अपराधों के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज किए जाने हेतु शिकायत। महोदय,सविनय निवेदन है कि: 1.यह कि मैं, जसप्रीत उर्फ जस्सी, वर्तमान शिकायत इस उद्देश्य से प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मेरे साथ जिस प्रकार संपर्क स्थापित किया गया, मुझे गुरुग्राम बुलाया गया, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री उपलब्ध कराई गई, मुझ पर दबाव डाला गया, धमकाया गया तथा पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री से संबंधित वीडियो विवाद के संदर्भ में फॉरेंसिक रिपोर्टें प्राप्त करने हेतु प्रेरित एवं

बाध्य किया गया, उसकी निष्पक्ष एवं विस्तृत जांच कराते हुए प्राथमिकी दर्ज की जाए ।यह मामला किसी विशेषज्ञ राय में साधारण मतभेद का नहीं है, बल्कि एक पूर्व-नियोजित एवं सुनियोजित प्रयास का है जिसका उद्देश्य ऐसी जाली एवं मनगढ़ंत फॉरेंसिक रिपोर्टें तैयार कराना था जिनमें पूर्व निर्धारित निष्कर्ष यह हो कि संबंधित वीडियो कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) द्वारा निर्मित, परिवर्तित अथवा छेड़छाड़ किए गए हैं तथा वीडियो में दिखाई देने वाला व्यक्ति पंजाब कामाननीय मुख्यमंत्री नहीं है, जबकि मुझे उपलब्ध कराई गई सामग्री किसी भी विश्वसनीय फॉरेंसिक परीक्षण अथवा वैज्ञानिक निष्कर्ष हेतु उपयुक्त नहीं थी। यह कि मैं फॉरेंसिक एवं साइबर संबंधी कार्यों से जुड़ा रहा हूँ तथा डिजिटल साक्ष्यों एवं इलेक्ट्रॉनिक विश्लेषण के क्षेत्र में तकनीकी कार्यों के कारण कुछ लोगों के बीच परिचित हूँ ।मुझसे एक ऐसे व्यक्ति ने संपर्क किया जिसने स्वयं को पंजाब सरकार का वरिष्ठ अधिकारी बताया तथा एक महत्वपूर्ण विषय में मुलाकात करने की इच्छा व्यक्त की।उक्त प्रतिनिधित्व को वास्तविक मानते हुए मैं बैठक हेतु सहमत हुआ ।उक्त बैठक होटल क्राउन प्लाज़ा, गुरुग्राम, हरियाणा में आयोजित की गई थी, अतः घटना का एक महत्वपूर्ण एवं अभिन्न भाग हरियाणा राज्य के अधिकार क्षेत्र में घटित हुआ है। 2.यह कि दिनांक 15.06.2026 को रात्रि लगभग 10:00 बजे मैं होटल क्राउन प्लाज़ा, गुरुग्राम पहुँचा, जहाँ मेरी मुलाकात उस व्यक्ति से हुई जिस ने स्वयं को पंजाब सरकार का वरिष्ठ अधिकारी बताया था ।उसके साथ एक अन्य अत्यंत वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित था, जिसे वहाँ उपस्थित लोग "बड़े साहब" कहकर संबोधित कर रहे थे ।यदि उक्त अधिकारी को मेरे समक्ष प्रस्तुत किया जाए अथवा जांच के दौरान दिखाया जाए तो मैं उसकी पहचान कर सकता हूँ ।उक्त बैठक के दौरान मुझे बताया गया कि पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री से संबंधित एक विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है तथा ऐसी रिपोर्टें तैयार करानी हैं जिनमें यह दर्शाया जाए कि वीडियो AI द्वारा निर्मित, परिवर्तित, फर्जी अथवा अविश्वसनीय है तथा वीडियो में दिखाई देने वाला व्यक्ति माननीय मुख्यमंत्री नहीं है। 3. यह कि मैंने उपलब्ध कराई गई सामग्री का अवलोकन किया तथा स्पष्ट रूप से उपस्थित व्यक्तियों को बताया कि वीडियो सामग्री की गुणवत्ता, प्रकृति एवं स्रोत किसी विश्वसनीय फॉरेंसिक राय के लिए पर्याप्त नहीं हैं।मैंने विशेषरूप से अवगत कराया कि उपलब्ध सामग्री के आधार पर पहचान निर्धारण, चेहरे की तुलना, एंथ्रोपोमेट्रिक विश्लेषण, डीपफेक परीक्षण अथवा AI आधारित छेड़छाड़ संबंधी कोई विश्वसनीय वैज्ञानिक निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। 4. यह कि दिनांक 16.06.2026 को पुनः एक बैठक आयोजित की गई जिसमें उक्त "बड़े साहब", अन्य पंजाब सरकार के वरिष्ठ अधिकारी एवं पंजाब सरकार के कुछ अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे ।उक्त बैठक में भी मुझ पर ऐसी रिपोर्टें उपलब्ध कराने हेतु

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

दबाव डाला गया ।जब मैंने उन्हें बताया कि मैं स्वयं इस प्रकार की विशेषज्ञ राय देने हेतु प्रमाणित विशेषज्ञ नहीं हूँ, तब मुझे कहा गया कि दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में अनेक व्यक्ति नियमित रूप से ऐसी रिपोर्टें तैयार करते हैं तथा ऐसी रिपोर्टें आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं ।उनके निरंतर दबाव के कारण मैंने अपने परिचित अरुण महेन्द्रू पुत्र अशोक महेन्द्रू, निवासी सिरसा, जो मेरे क्षेत्र में रहता है, से संपर्क किया ।तत्पश्चात मुझे दो अलग-अलग विशेषज्ञों अथवा प्रयोगशालाओं से दो पृथक रिपोर्टें प्राप्त करने हेतु कहा गया, जिसके परिणाम स्वरूप मेरी मुलाकात बलवान शर्मा के पुत्र अंकित, निवासी जींद, से कराई गई ।बाद में संबंधित सामग्री युक्त पेनड्राइव पंजाब सरकार के अज्ञात अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से अरुण महेन्द्रू को पंचकूला तथा अंकित को दिल्ली में उपलब्ध कराई गई। 5. यह कि मेरे स्पष्ट इंकार , पेशेवर आपत्तियों एवं बार-बार व्यक्त की गई चिंताओं के बावजूद मुझ पर लगातार दबाव बनाया गया कि किसी भी स्थिति में अनुकूल रिपोर्टें प्राप्त की जाएँ ।मुझे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई ।यहाँ तक कहा गया कि यदि ऐसी रिपोर्टें उपलब्ध नहीं कराई गईं तो मेरे परिवार के सदस्यों की सुरक्षा एवं जीवन भी खतरे में पड़ सकते हैं । साथ ही लगभग ₹10,00,000/- की राशि जबरन मेरी गाड़ी में रख दी गई । संपूर्ण घटनाक्रम किसी वैध पेशेवर कार्य अथवा विधि सम्मत फॉरेंसिक असाइनमेंट का नहीं था, बल्कि दबाव, धमकी, भय, प्रलोभन एवं अवैध प्रभाव के माध्यम से पूर्व निर्धारित निष्कर्ष वाली रिपोर्टें प्राप्त करने का प्रयास था। 6. यह कि उक्त दबाव, धमकी एवं भय के वातावरण में बाद में Cipher Sentinel Lab तथा Cyberyan Labs नामक संस्था ओं से रिपोर्टें प्राप्त की गईं ।मुझे इन संस्थाओं की प्रमाणिकता, तकनीकी योग्यता, मान्यता अथवा सरकारी मान्यता संबंधी किसी तथ्य की जानकारी नहीं है । मेरी जानकारी के अनुसार ये संस्थाएँ किसी सक्षम सरकारी निकाय द्वारा प्रमाणित अथवा मान्यता प्राप्त नहीं हैं । यह भी उल्लेखनीय है कि अरुण महेन्द्रू का Cyberyan Lab से किसी ज्ञात औपचारिक क्षमता में कोई संबंध नहीं है । यद्यपि उस समय मुझे इन तथ्यों की जानकारी नहीं थी , फिर भी मैंने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट रूप से सूचित कर दिया था कि मुझे इन व्यक्तियों अथवा प्रयोगशालाओं की प्रामाणिकता एवं तकनीकी क्षमता के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। 7. यह कि रिपोर्टों के प्रारूप (Drafts) उक्त व्यक्तियों द्वारा तैयार किए जा रहे थे तथा मुझ पर लगा दबाव डाला जा रहा था कि मैं इन प्रारूपों को उक्त पंजाब सरकार के वरिष्ठ अधिकारी के व्हाट्सएप नंबर पर साझा करूँ ।उक्त अधिकारी लगातार रिपोर्टों की समीक्षा करते रहे तथा अनुकूल निष्कर्ष सुनिश्चित करने के लिए उनमें विभिन्न संशोधन, परिवर्तन एवं अतिरिक्त सामग्री शामिल करने के निर्देश देते रहे । उक्त आचरण स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि संबंधित अधिकारी रिपोर्टों की तैयारी , प्राप्ति , संशोधन एवं अंतिम

रूप देने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल थे ।8. यह कि उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि पूर्व निर्धारित निष्कर्ष प्राप्त करने हेतु दबाव, धमकी, प्रलोभन एवं षड्यंत्र के माध्यम से रिपोर्ट तैयार कराने का एक सुनियोजित प्रयास किया गया । उक्त कृत्य भारतीय न्याय संहिता की धारा 61 (आपराधिक षड्यंत्र), धारा 318 (छल एवं धोखाधड़ी), धारा 336 एवं 338 (जालसाजी एवं इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की जालसाजी), धारा 339 एवं 340 (जाली दस्तावेजों एवं जाली इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का वास्तविक के रूप में उपयोग) सहित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत गंभीर अपराधों की जांच की मांग करता है ।9. यह कि उक्त वीडियो विवाद पहले ही अत्यधिक सार्वजनिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक महत्व प्राप्त कर चुका था । किसी भी तथा कथित स्वतंत्र फॉरेंसिक रिपोर्ट में जनमत , मीडिया विमर्श, संस्थागत प्रक्रियाओं, जांच एजेंसियों की कार्यवाही एवं व्यापक सार्वजनिक चर्चा को प्रभावित करने की क्षमता थी ।संबंधित रिपोर्टों ने केवल संदेह व्यक्त नहीं किया बल्कि निर्णायक रूप से यह दर्शाने का प्रयास किया कि वीडियो में दिखाई देने वाला व्यक्ति पंजाब का माननीय मुख्यमंत्री नहीं है ।अतःयह आवश्यक है कि यह जांच की जाए कि इन रिपोर्टों को किसके कहने पर तैयार कराया गया , किसने वित्तीय सहायता प्रदान की, किसने अनुमोदित किया, किसने प्रसारित किया तथा किसने इनका उपयोग किया । 10. यह कि उक्त पंजाब सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों , अरुण महेन्द्रू, अंकित तथा रिपोर्टों की तैयारी , मसौदा निर्माण , हस्ताक्षर , प्रमाणीकरण, प्रेषण, प्रसारण एवं उपयोग से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका की गहन जांच आवश्यक है।संबंधित मोबाइल फोन , लैपटॉप, कंप्यूटर, हार्डडिस्क, सर्वर, पेनड्राइव, CCTV फुटेज, क्लाउड स्टोरेज, ईमेल, व्हाट्सएप चैट तथा अन्य सभी डिजिटल अभिलेख तत्काल सुरक्षित, संरक्षित एवं विधि सम्मत रूप से जब्त किए जाने चाहिए ।उक्त इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख अत्यंत महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं तथा इनमें छेड़छाड़, विलोपन, ओवर राइटिंग अथवा रिमोट वाइपिंग की संभावना बनी हुई है। 11. यह कि मुझे तथा मेरे परिवार को अपनी सुरक्षा को लेकर वास्तविक एवं गंभीर आशंका है ।मुझे भय एवं दबाव की परिस्थितियों में इन रिपोर्टों की व्यवस्था करने हेतु बाध्य किया गया । संपूर्ण घटनाक्रम प्रभावशाली एवं उच्च पदस्थव्यक्तियों द्वारा निर्मित भय एवं दबाव के वातावरण में घटित हुआ ।मैं तथा मेरा परिवार पंजाब राज्य में स्वयं को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं व मुझे व मेरे परिवार को उपरोक्त लोगो से जान का पूरा खतरा हैं ,मैं यह भी प्रार्थना करता हूँ कि मुझे मेरे मोबाइल नंबर पर हरियाणा पुलिस तुरंत संपर्क करके मुझे यहा से ले जाए और मेरी जान माल कि सुरक्षा करे । अतः मैं हरियाणा पुलिस से तत्काल सुरक्षा प्रदान किए जाने तथा उपर्युक्त अपराधों के संबंध में प्राथमिकी दर्ज किए जाने का

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

अनुरोध करता हूँ । 12. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में विनम्र प्रार्थना है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 61, धारा 318, धारा 336, 338, 339 एवं 340, सूचनाप्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की प्रासंगिक धाराओं तथा अन्य लागू विधिक प्रावधानों के अंतर्गत तत्काल प्राथमिकी दर्ज की जाए, निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं प्रभावी जांच कराई जाए तथा जांच में संलिप्त पाए जाने वाले सभी व्यक्तियों के विरुद्ध विधि अनुसार कठोर कार्रवाई की जाए। भवदीय शिकायतकर्ता- जसप्रीत उर्फ जस्सी 9555698800 कार्यावाही पुलिस - जो प्राप्त शिकायत से धारा 318,319(2),336(2),336(3),340(1),340(2),111 BNS AND 65,66-D IT ACT का होना पाया जाता है । जिस पर उपरोक्त अभियोग उक्त धाराधीन दर्ज किया जाकर कम्प्युटर द्वारा प्रतिया तैयार की गई जो स्पेशल रिपोर्ट EMAIL के माध्यम से उच्च अधिकारियों व इलाकामजिस्ट्रेट साहब की सेवा में भेजी जायेगी। अभियोग अंकित होने के बाद असलशिकायत पत्र व FIR रखी गई ।जो शिकायतकर्ता से संपर्क किया जा रहा है । जो शिकायतकर्ता के आने उपरांत अभियोग का अनुसंधान अमल मे लाया जाएगा। यह अभियोग SHO/INSP SATENDER KUMAR की हाजिरी मे दर्ज की जा रही है । I/O SHO/INSP SATENDER PS DLF SEC 29 GURUGRAM ,NOTE- CCTNS मे धारा 319(2),340(1),340(2),111 BNS न होने के कारण यह अभियोग धारा 319,340,111(2)a मे दर्ज किया जा रहा है ।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):** **or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** TARUN KUMAR **Rank (पद):** Asst. SI (Assistant Sub-Inspector)

No. (सं.): 590GGM **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

Directed (Mobile No. of I.O.) (जांच अधिकारी का मोबाइल नंबर): 919990066693

HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):District (ज़िला):(के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): SATENDER SINGH

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): F22

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद *7* संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1991				**Is pox pitted:** Yes
2	Male	1996				**Is pox pitted:** Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)